



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1039]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1039]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का.आ.1596(अ).— यतः दिल्ली मुख्य योजना – 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2071(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

संशोधन:

दि.मु.यो.-2021	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
अध्याय 4.0 आश्रय व्यवस्था (शैल्टर)	
4.4.3. आवासीय परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण	

च.रैन बसेरा	
न्यूनतम प्लाट आकार 1000 वर्ग मीटर अधिकतम ग्रांड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम एफ.ए.आर. 120 अधिकतम ऊंचाई 26 मीटर	न्यूनतम प्लाट आकार 100 वर्ग मीटर अधिकतम ग्रांड कवरेज 60 प्रतिशत अधिकतम एफ.ए.आर. 200 अधिकतम ऊंचाई 26 मीटर पार्किंग (i) 500 वर्ग मीटर से कम माप वाले प्लॉटों के लिए शून्य (ii) 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक माप वाले प्लॉटों के लिए 2 कारों/सेवा वाहनों

अध्याय 13.0 स- सामाजिक आधारीक संरचना					
तालिका 13.18:अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए योजना मापदंड					
क्र.सं.	श्रेणी	प्लॉट का क्षेत्र	क्र.सं.	श्रेणी	प्लॉट का क्षेत्र
1.	(च) रैन बसेरा	भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन न्यूनतम 1000 वर्ग मी.	1.	च) रैन बसेरा	भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन न्यूनतम 100 वर्ग मी.

13.19: अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण					
क्र.सं.	श्रेणी		क्र.सं.	श्रेणी	
1.	ओल्ड ऐज होम / शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए देखभाल केन्द्र/नौकरीपेशा महिलाओं / पुरुषों के होस्टल /प्रौढ शिक्षा केन्द्र/ अनाथालय / बाल केन्द्र/रैन बसेरे		1.	ओल्ड ऐज होम / शारीरिक /मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए देखभाल केन्द्र/नौकरीपेशा महिलाओं / पुरुषों के होस्टल /प्रौढ शिक्षा केन्द्र/ अनाथालय /बाल केन्द्र	

तालिका 13.19:अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण					
क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण
		भूमि कवरेज	एफ.ए. आर.	ऊंचा	
5	रैन बसेरा	60 प्रतिशत	200	26 मीटर	पार्किंग (i) 500 वर्ग मीटर से कम माप वाले प्लॉटों के लिए शून्य (ii) 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक माप वाले प्लॉटों के लिए 2 कारों/सेवा वाहनों

[फा. सं. के - 12011/6/ 2016 डी.डी.-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

S.O.1596(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2071(E) dated 30th July, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

MPD 2021					
Existing Provisions			Amendments/Modifications		
Chapter 4.0-Shelter					
4.4.3 Control for Building/Buildings within Residential Premises					
F. Night Shelter					
Min. Plot Size	1000 sqm.		Min. Plot Size	100 sqm.	
Max. Ground Coverage	30%		Max. Ground Coverage	60%	
Max. FAR	120		Max. FAR	200	
Max. Height	26m		Max. Height	26m	
			Parking:	(i) NIL,	for plots measuring less than 500 sqm.
				(ii) 2	cars/service vehicles, for plots measuring 500 sqm and above.
Chapter 13.0-Social Infrastructure					
13.18: Planning Norms and Standards for Other Community Facilities					
SL. No.	Category	Plot Area	SL. No.	Category	Plot Area
1.	(f) Night shelter	Minimum 1000 sqm, subject to availability of land.	1.	(f)Night shelter	Minimum 100 sqm, subject to availability of land.
13.19: Development Controls for Other Community Facilities					
Sl. No.	Category		Sl. No.	Category	
1.	Old Age Home/Care Centre for differently abled persons/Mentally challenged/Working women/men hostel/Adult Education Centre/Orphanage/Children's Centre/ Night Shelters		1.	Old Age Home/Care Centre for differently abled persons/Mentally challenged/Working women/men hostel/Adult Education Centre/Orphanage/Children's Centre/	

Table 13.19: Development Control for Other Community Facilities

Sl. No.	Category	Maximum			Other controls
		Ground Coverage	FAR	Height	
5.	Night Shelter	60%	200	26m	Parking: (i) NIL, for plots measuring less than 500 sqm. (ii) 2 cars/service vehicles, for plots measuring 500 sqm and above.

[F.No. K-12011/6/2016-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.